पुलिस थाना	गीटा-8	ब्यावर सिटी	श्री ...	...	9530421760	...

।।कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त ग्रामीण अजमेर।।

दिनांकः 05.11.18

क्रमांक :– ईमेल

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला अजमेर

विषयः– जांच रिपोर्ट परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी वार्ड नं. 1 पुष्कर, जिला अजमेर बाबत दि. 5.9.18 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर प्रकाशित खबर छपी खबर शीर्षक पुष्कर "सैलानियों को सुविधा और सवारी की आड़ में परोस रहे नशा" के संबंध में।

प्रसंगः– श्रीमान के कार्यालय पत्रांकः परिवाद नं. 10180674598216 दि. 25.10.18 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्री ज्ञानेश कुमार निवासी वार्ड नं. 1 पुष्कर, जिला अजमेर बाबत दि. 5.9.18 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर प्रकाशित खबर छपी खबर शीर्षक पुष्कर "सैलानियों को सुविधा और सवारी की आड़ में परोस रहे नशा" के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर जांच रिपोर्ट प्राप्त कर जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार से है।

थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर की जांच रिपोर्ट से पाया गया की थाना पुष्कर क्षेत्र में उक्त अपराध को रोकने के संबंध में थाना स्तर से निरन्तर गश्त व समय–समय उच्च अधिकारीयों के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है, एवं थाना स्तर पर मुखबीर मामूर कर आसुचना अधिकारी को भी हिदायत दी जाती है। थाना क्षेत्र में उक्त परिवाद में अकिंत बिन्दु अनुसार पूर्ण निगरानी रखी जाकर पतारसी की जा रही है। पत्रिका में छपी खबर के संबंध में केमल सफारी संचालकों व चाय की दुकानों, होटल, ढाबो को चैक कर हिदायत मुनासिब की गई। थानाधिकारी द्वारा उक्त संबंध में पूर्व में भी ऐसा मामला सामने आने पर समय–समय पर लगातार कार्यवाही की जाती है तथा थाना पुष्कर क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी जारी है। परिवाद में अंकित तथ्यों के संबंध में वर्ष 2018 में की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है।

1. प्र.सं. 21/18 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना पुष्करः– दिनांक 13.01.18 को इंचार्ज थाना पुष्कर श्री हरजीराम उनि. मय जाप्ता के दौराने गश्त आरोपी ललित पाटीदार उर्फ पंकज पुत्र कारूमल जाति पाटीदार उम्र 29 साल निवासी सूरजनी पुलिस थाना सीतामउ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश के कब्जे से मादक पद्दार्थ स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट नं0 35/18 दिनांक 27.03.18 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में कता कर पेश न्यायालय की गई एवं मुल्जिम श्री महेश पाटीदार पुत्र जगदीश पाटीदार जाति पाटीदार निवासी सुरजनी थाना सीताभान जिला मन्दसौर एमपी के विरूद्ध धारा 173(8) जाफौ में पैण्डिंग है।
2. प्र.सं. 94/18 धारा 8/18, 8/20 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना पुष्करः– दिनांक 27.04.18 को गनाहेड़ा तिराये के पास कानि. 755 श्री अमित कुमार की इतला पर आरोपी राजेश टेलर उर्फ कालू पुत्र श्री अमरचंद उम्र 39 साल जाति दर्जी निवासी पोकरियों की ढाणी गनाहेड़ा थाना पुष्कर, जिला अजमेर हाल किरायेदार भैंरू सिंह राजपुत का मकान जगदम्बा टेन्ट हाउस के पास गनाहेडा के कब्जे से मादक पद्दार्थ डोडा चुरा व गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में बाद अनुसंधन नतीजा नतीजा चार्जशीट नं. 115/18 दिनांक 29.06.18 धारा 8/15, 8/20, 8/29 एनडीपीएस एक्ट विरूद्ध मुल्जिमान 1. राजेश टेलर उर्फ कालु व 2. दिनेश वैष्णव पुत्र कैलाश वैष्णव निवासी सराना थाना सरवाड के कता की गई।
3. प्र.सं. 96/18 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना पुष्करः– दिनांक 29.04.18 को मुल्जिम मुलचन्द शर्मा पुत्र श्री तुलसीराम जाति ब्राहम्ण उम्र 38 साल निवासी चाचा गार्डन बांगड तिराहा के सामने पुष्कर के कब्जे से मादक पद्दार्थ हल्के भुरे रंग का डलीनूमा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में चालानी आदेश प्राप्त किये जाने शेष है।
4. प्र.सं. 223/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना पुष्करः– दिंनाक 13.10.2018 को मुखबीर की सूचना मुताबिक आरोपी मंगल सुथार पुत्र मुरली जाति सुथार उम्र 28 साल निवासी भार्गव पम्प के पास कोटा रोड कॉलोनी मन्दसौर गांव सितामउ तहसिल सुवासरा मध्यप्रदेश के कब्जे से श्री भंवर राम उप निरीक्षक थाना पुष्कर मय हमराह जाप्ता के देवनगर रोड पुष्कर पर आरोपी मंगल सुथार के पास से एक प्लास्टिक की थेली में 1. स्मैक 45 ग्राम 2. भूरा पाउडर 98 ग्राम 3. पाउडर जैसा 48 ग्राम बरामद को जरिये फर्द जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण का अनुसधान थानाधिकारी गेगल द्वारा किया जा रहा है।

अतः परिवाद में अंकित तथ्यों के संबंध जांच रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

पुलिस उप अधीक्षक
वृत्त ग्रामीण अजमेर

Scanned by CamScanner